इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 499] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 15, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

क्र. 24870-वि.स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 30 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 6 दिसम्बर 2012 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३० सन् २०१२.

न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०१२.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८७० का सं. ७ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० (१८७० का सं. ७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

अनुसूची २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची २ में, अनुच्छेद ११ में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (एक) में, उचित फीस से संबंधित कालम में, शब्द ''अपील में दावाकृत वर्धित रकम का दस प्रतिशत'' के स्थान पर, शब्द ''अधिकतम एक लाख रुपए के अध्यधीन रहते हुए अपील में दावाकृत वर्धित रकम का पांच प्रतिशत'' स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अपील के ज्ञापन पर, जबकि वह दावेदार द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय की रकम में वृद्धि के लिये उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया जाए, उद्ग्रहणीय न्यायालय फीस को युक्तियुक्त करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० (१८७० का सं. ७) की अनुसूची २ के अनुच्छेद ११ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख २७ नवम्बर, २०१२.

डॉ. नरोत्तम मिश्र
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 505] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 16, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. 7543-362-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 30 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 30 OF 2012.

THE COURT-FEES (MADHYA PRADESH AMENDMENT) BILL, 2012.

A Bill further to amend the Court-fees Act, 1870 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Court-fees (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2012.

Amendment of Central Act No. VII of 1870 in its application to the State of Madhya Pradesh.

2. The Court-fees Act, 1870 (No. VII of 1870) (hereinafter referred to as the principal Act), in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Schedule II.

3. In Schedule II to the principal Act, in article 11, in clause (a), in sub-clause (i), in the column pertaining to proper fee, for the words "Ten percent of the enhanced amount claimed in appeal", the words "Five percent of the enhanced amount claimed in appeal subject to a maximum of one lac rupees" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to rationalize the court-fees leviable on memorandum of appeal when presented to the High Court by the claimant for enhancement of the amount of award passed by Motor Accident Claims Tribunal, suitable amendment is proposed in article 11 of Schedule II to the Court-fees Act, 1870 (No. VII of 1870) in its application to the State of Madhya Pradesh.

2. Hence this Bill.

BHOPAL :
DATED the 27th November, 2012.

DR. NAROTTAM MISHRA
Member-in-Charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.